नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 22 Jul 2025 - 22raj4
epaper.navabharat.news

बढ़ते प्रदूषण पर शासन के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट

प्रदेश के 60 उद्योगों का दोबारा निरीक्षण कर मंगाई रिपोर्ट

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए सभी 60 उद्योगों का दोबारा निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि प्रदेश में संचालित उद्योगों और कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं और 36 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, हालांकि हाईकोर्ट ने इस जवाब को अपर्याप्त मानते हुए कोर्ट कमिश्नरों, अतिरिक्त महाधिवक्ता और शासन के अधिकारियों को फिर से निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बता दें कि प्रदेश के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सीमेंट और लोहे की डस्ट से होने वाली परेशानियों और फेफड़ों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान, गोविंद अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की हैं। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका पर संयुक्त सुनवाई शुरू की। पूर्व में कोर्ट ने राज्य के उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे, जिन्होंने विभिन्न संभागों में उद्योगों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी थी। अब कोर्ट के नए आदेश के बाद एक बार फिर सभी 60 उद्योगों की विस्तृत जांच होगी और प्रदूषण की वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।